[24/3/2022]

तारांकित-3942

वी.एल. गुजराती,
उपसचिव.

प्रश्न सं. [क. 3942]

56. **कक्षा अध्यापक**— अध्यापक उसे आवंटित किये गये अध्यापन कार्य के अलावा आवश्यकतानुसार संस्था के किसी भी सेक्शन या कक्षा अध्यापक के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त उसे फीस वसूल करने, उपस्थिति लेने, पाठ्येत्तर कार्यकलाप आयोजित करने तथा उनमें सहायता पहुँचाने और ऐसे अन्य कार्य करने होंगे जो उसे संस्था के प्रधान द्वारा सौंपे जायँ। परन्तु अध्यापक को अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिये सप्ताह में कुछ घण्टों में शिक्षा कार्य से मुक्त रखा जायेगा।

57. **उपस्थिति**— (1) प्राथमिक शाला तथा पूर्व माध्यमिक शाला की कक्षाओं में प्रतिदिन पहले घण्टे में उपस्थिति ली जायेगी और उपस्थिति पंजी फार्म क्रमांक 6 अंकित की जायेगी तथा कभी-कभी बाद के घण्टों में फिर से उपस्थिति ली जायेगी।

(2) उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उपस्थिति उपर्युक्त प्रकार से तथा विषयवार भी रखी जायेगी।

(3) **गणवेश**— प्रत्येक शाला में छात्र-छात्राओं के लिये यथा संभव एक गणवेश होगा जो स्वा. प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा और बार-बार नहीं बदला जायेगा गणवेश से सादगी प्रकट होना चाहिये।

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 1998

क्रमांक एफ.1/98/सी-3/बीस— राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार शालाओं में छात्र/छात्राओं के लिये गणवेश अनिवार्य नहीं होगा।

2. शाला के छात्र/छात्राओं के लिये गणवेश निर्धारित करने अथवा गणवेश निर्धारित न करने का निर्णय संबंधित शाला समिति/शिक्षा समिति ही करेगी।

3. शालेय छात्र/छात्राओं के लिये गणवेश निर्धारित करने संबंधी पूर्व प्रसारित आदेश/निर्देश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.आर.एस. चौहान, अपर सचिव.

58. **अनुशासन**— (1) शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को भी अपनी पोशाक सादी रखनी होगी। भड़कीले चुस्त तथा अन्यथा अवांछनीय पोशाकों में शिक्षक या शिक्षिका शाला में नहीं आयेंगे।

आर.के.त्रिवदी